

आदेश

वाडियां का वाड पका स्वीकार किया जाता है व प्राथमिक डिंडी इस आशय की दी जाती है कि ग्राम जिलों का वास-मोड़की की सरहद में ग्राम ख.क. 2404, 2409 बिला-2 कुल 2म्बा 10.69 है. में वाडियां व जालेवाडी सं. 1 का राजस्व रिहाई में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा अनुसार विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवादी उममपसकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नम्बरा डे ले जालेवाडी में न्यायालय दफ्तर में प्रस्तुत करें। डिंडी पचा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7-5-18 को प्रथम कोर्ट द्वाजेयं मोड़की में सुनाया गया। पकावती फौजल शुमार होकर नम्बर सी कर हो तथा दारखत दफ्तर हो।